# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
## पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

**पत्रावली संख्या : 17 / 2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.**

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम "ए.यू. फाईनेन्सीयर्स(इण्डिया) लि.")
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान।

...प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मै. शेखावाटी पब्लिक स्कूल समिति जरिये सचिव बसन्त कुमार पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम कूदन, वाया अजीतपुरा, जिला सीकर– 302031 राजस्थान। ऋणी / बंधनकर्त्ता
2. सरिता कुमारी पत्नी बसन्त कुमार, निवासी ग्राम कूदन, वाया अजीतपुरा, जिला सीकर– 302031 राजस्थान। सह ऋणी
3. बसन्त कुमार पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम कूदन, वाया अजीतपुरा, जिला सीकर– 302031 राजस्थान। सह ऋणी
4. राम देव सिंह पुत्र भींवाराम, निवासी ग्राम कूदन, वाया अजीतपुरा, जिला सीकर –302031। सह ऋणी

---अप्रार्थीगण

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

**निर्णय**

निर्णय दिनांकः 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विनोद खाण्डल** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मै. शेखावाटी पब्लिक स्कूल समिति, सरिता कुमारी, बसन्त कुमार, रामदेव सिंह** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **All that part and parcel of the property consisting of land & building, structures, eractions, installations etc. of part of khasra No. 584/482, Village Ajitpura. (Kudan),Tehsil Dhod, District Siakr, Admeasuring 2989.97 Sq. Yards., Owned by M/s Shekhawati Public School Samiti.** को बंधक रखकर 1,00,00,000 / –रूपये ( अक्षरे रूपये एक करोड़ मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 10.10.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर लाल बिजारणियां ने वकालतनामा पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण मै. **शेखावाटी पब्लिक स्कूल समिति, सरिता कुमारी, बसन्त कुमार, रामदेव सिंह** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **All that part and parcel of the property consisting of land & building, structures, eractions, installations etc. of part of khasra No. 584/482, Village Ajitpura. (Kudan),Tehsil Dhod, District Siakr, Admeasuring 2989.97 Sq. Yards., Owned by M/s Shekhawati Public School Samiti.**का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः **13 मार्च, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
**जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner